

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 6(14)राज-4/81/पार्ट/36

जयपुर, दिनांक 01-12-2015-

-अधिसूचना:-

राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम संख्या 16 सन् 1954) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग (Dissolve) करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

*—A. J. S. M.—
1.12.2015*
(डॉ कुंज बिहारी पण्ड्य)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
9. श्री रतन लाल ताम्भी, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।
10. श्री हरिकिशन जोशी, ग्राम छत्तरगढ़, जिला बीकानेर।
11. श्री महावीर सिंह, ग्राम आईदान का बास, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
12. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक दिनांक 01.12.2015 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
14. राजस्थान ग्रामदान/भूदान बोर्ड जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

—A. J. S. M.—
संयुक्त शासन सचिव